



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 22, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. अनुच्छेद 22 के तहत पुनः गिरफ्तारी और सुरक्षा उपायों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश	2
2. भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के लिए तैयार	4
3. पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के कार्यान्वयन से जुड़े विवाद	6
4. महाराष्ट्र में गंभीर सूखा और 100% सूखा घोषित होने की संभावना	8
5. कूनों राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीते गौरव की मृत्यु ने संरक्षण संबंधी चुनौतियों को उजागर किया	9
6. तमिलनाडु की विकास महत्वाकांक्षा का गणित	11
7. होर्मुज गतिरोध को सुलझाने के लिए मलक्का-सिंगापुर मॉडल	12
8. भारत के गतिशीलता क्षेत्र में वैकल्पिक ईंधनों के परिवर्तन को समझना	14
9. सर्वोच्च न्यायालय ने मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) के अकारण विकृतीकरण (Denaturing) नियमों को रद्द किया	16
10. इसरो के गगनयान मिशन में पैराशूट रिकवरी सिस्टम की कार्यप्रणाली और तैनाती	18
11. भारत संयुक्त राष्ट्र में 'पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म' (P4M) पहल में शामिल हुआ	19
12. नाटो की एकजुटता पर तनाव के बीच ग्रीनलैंड त्रिपक्षीय समझौते ने गतिरोध समाप्त किया	21



1. अनुच्छेद 22 के तहत पुनः गिरफ्तारी और सुरक्षा उपायों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

मुख्य बिंदु और सारांश

- न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदूरकर की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के कारण रिहा किए गए व्यक्तियों को पुनः गिरफ्तार करने के लिए सख्त दिशानिर्देश स्थापित किए।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी के आधार न बताए जाने के कारण रिहा किया गया व्यक्ति "जमानत पर रिहा" होने के बजाय "अवैध और असंवैधानिक हिरासत" से मुक्त माना जाता है।

- जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से पुनः गिरफ्तार नहीं कर सकतीं; उन्हें सबसे पहले गिरफ्तारी के लिखित आधार प्रदान करने होंगे और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- पुनः गिरफ्तारी के आवेदन को जांच अधिकारी के तत्काल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और उसमें यह स्पष्ट स्पष्टीकरण होना चाहिए कि प्रारंभिक गिरफ्तारी के दौरान आधार क्यों नहीं दिए गए थे।
- संस्थागत पूर्वाग्रह को रोकने के लिए, वरिष्ठ अधिकारी को मामले की जांच एक नए अधिकारी को सौंपनी होगी और प्रारंभिक उल्लंघन के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करनी होगी।

- शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) के तहत सुरक्षा उपाय गैर-समझौतायोग्य मौलिक अधिकार हैं जो अपराध की गंभीरता की परवाह किए बिना सभी आपराधिक और विशेष कानूनों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- अनुच्छेद 22(1) संरक्षण:** एक मौलिक संवैधानिक अधिकार जो यह गारंटी देता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, साथ ही कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार भी होगा।

- अनुच्छेद 22(2) जनादेश:** संवैधानिक आवश्यकता कि हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

- न्यायिक स्वीकृति (Judicial Imprimatur):** एक न्यायिक प्राधिकारी (मजिस्ट्रेट) द्वारा दी गई आधिकारिक मंजूरी या प्राधिकरण जो यह सुनिश्चित करती है कि वैधानिक और संवैधानिक मानकों का पालन किया गया है।
- असंवैधानिक हिरासत:** अनिवार्य संवैधानिक या वैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना की गई हिरासत, जिससे यह शुरुआत से ही शून्य (void ab initio) हो जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- अनुच्छेद 22:** मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है, जो संविधान के भाग III के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

Supreme Court Directives on Re-Arrests and Safeguards Under Article 22

Balancing Investigation and Liberty

"Liberty is the rule, not the exception."

What is it?

The Supreme Court's directives clarify when a person can be **re-arrested** after release and reinforce the safeguards available under **Article 22** of the Constitution to protect **individual liberty** and prevent **arbitrary detention**.

Background

- Re-arrests after bail/ release raised concerns of **misuse** by investigating agencies.
- The issue came up in several cases, including the misuse of criminal law and **repeated arrests** to harass individuals.
- The Supreme Court issued **guidelines** to prevent abuse and ensure fair procedure.

Key Highlights

- Re-arrest is **not automatic** after release or bail.
- It is allowed only in **exceptional circumstances** (e.g., new evidence, serious offences, or violation of bail conditions).
- Authorities must follow **due process** and justify the need for re-arrest.
- Court's permission** may be required in certain cases.

Important Provisions/Features

- Article 22(1):** Right to be informed of grounds of arrest and right to consult a lawyer.
- Article 22(2):** To be produced before a magistrate within **24 hours**.
- Protection against arbitrary detention and repeated arrests.
- Re-arrest only with **valid reasons**, not as a tool of harassment.

Objectives

- Prevent **misuse** of criminal process and power by police/ authorities.
- Ensure **fair investigation** and due process.
- Protect the right to **personal liberty** and dignity.
- Maintain a balance between individual rights and **public interest**.

Significance

- Strengthens constitutional safeguards under **Article 22**.
- Prevents **harassment** and misuse of arrest powers.
- Upholds the principle of **rule of law**.
- Reinforces trust in the justice system and protects **fundamental rights**.

Ministry/Organization

- Supreme Court of India (Judiciary)

(Issues binding directives for all authorities)

सत्यमेव जयते
Supreme Court of India

Important Facts & Figures

- Article 22** is part of **Fundamental Rights** (Right to Life and Personal Liberty).
- Applies to **all persons**, including citizens and non-citizens.
- 24 hours** – time limit to be produced before a magistrate (Article 22(2)).

International/Constitutional Link (if applicable)

- Aligns with **Universal Declaration of Human Rights** (Art. 9 – Right to Liberty and Security of Person).
- Reflects principles of **ICCPR** (International Covenant on Civil and Political Rights).
- Part of the Indian Constitution (Article 22).

Prelims Quick Revision

- Article 22 guarantees the right to be informed of arrest and to consult a lawyer.
- Under Article 22(2), the arrested person must be produced before a magistrate within 24 hours.
- Re-arrest after release/bail is **not automatic**.
- It is allowed only in **exceptional circumstances** (e.g., new evidence, serious offences, bail violation).
- Authorities must follow due process and give reasons for re-arrest.

6-10 One-Liners

- Court's permission may be required in certain cases.
- Prevents misuse of police power and harassment.
- Strengthens the right to personal liberty and dignity.
- Part of the Fundamental Rights (Article 22).
- Aligns with UDHR (Art. 9) and ICCPR.

Fair Process = True Justice

Know the Constitution | Protect the Rights | Build a Stronger Democracy

- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, यह स्थापित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 47:** पुलिस अधिकारियों पर गिरफ्तार व्यक्तियों को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की जानकारी देने का वैधानिक कर्तव्य।
- **सार्वजनिक कानून उपाय (Public Law Remedy):** अनुच्छेद 21 और 22 के तहत मौलिक अधिकारों के राज्य द्वारा उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजा देने की संवैधानिक न्यायालयों की न्यायिक शक्ति।

निष्कर्ष

संवैधानिक उल्लंघनों के बाद पुनः गिरफ्तारी के लिए न्यायिक मंजूरी और आंतरिक पुलिस जवाबदेही को अनिवार्य करके, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासनिक सुविधा पर कानून के शासन को मजबूत किया है। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की शक्ति का प्रयोग सख्ती से प्रक्रियात्मक सीमाओं के भीतर किया जाए, जिससे मनमानी गिरफ्तारी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो सके।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका और वैधानिक/नियामक निरीक्षण।
- **जीएस पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा, पुलिस सुधार, शासन ढांचा और आपराधिक न्याय न्यायनिर्णयन।
- **प्रारंभिक परीक्षा ध्यान केंद्रित:** अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के प्रावधान, जमानत और असंवैधानिक हिरासत से रिहाई के बीच अंतर, BNSS 2023 के तहत प्रक्रियात्मक नियम, और गैर-कानूनी हिरासत के लिए न्यायिक उपचार।

2. भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के लिए तैयार

मुख्य बिंदु और सारांश

- भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 2026 को विजयादशमी के त्योहार के अवसर पर लागू होगा।
- यह समझौता पहले ही दिन से न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यातों के लिए शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके ₹35,000 करोड़ (\$7 बिलियन) करना है।
- भारत ने डेयरी उत्पादों, प्याज, चने, मटर, मक्का, बादाम और चीनी को पूरी तरह से अपवर्जन सूची (Exclusion List) में रखकर अपने संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों की रक्षा की है।
- न्यूजीलैंड ने विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 15 वर्षों की अवधि में भारत में \$20 बिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धता जताई है।
- टैरिफ रेट कोटा (TRQs) और मौसमी आयात समय-सीमा के माध्यम से विशिष्ट न्यूजीलैंड उत्पादों, जिनमें कीवीफ्रूट, सेब और मणुका शहद शामिल हैं, के लिए नए-तुले बाजार पहुंच प्रदान की गई है।

- आवाजाही के प्रावधानों में कुशल भारतीय श्रमिकों के लिए 5,000 अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा का एक समर्पित कोटा और STEM स्नातकों तथा डॉक्टरेट शोधकर्ताओं के लिए 3 से 4 वर्ष तक के अध्ययन-पश्चात कार्य अधिकार शामिल हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ, कोटा और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता।
- अपवर्जन सूची (नकारात्मक सूची):** संवेदनशील वस्तुओं और उत्पादों की एक निर्दिष्ट सूची जिन्हें घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए टैरिफ में कटौती या छूट से स्पष्ट रूप से छूट दी गई है।
- टैरिफ रेट कोटा (TRQ):** एक व्यापार नीति तंत्र जो किसी उत्पाद की एक निर्दिष्ट मात्रा को कम या शून्य सीमा शुल्क पर आयात करने की अनुमति देता है, जबकि सीमा से अधिक आयात पर उच्च टैरिफ लगता है।
- रणनीतिक साझेदारी:** दीर्घकालिक साझा उद्देश्यों की दिशा में आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को गहरा करने के लिए संप्रभु राज्यों के बीच एक औपचारिक ढांचा।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- अनुच्छेद 253:** संसद को विदेशी राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 73:** संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन सभी मामलों तक करता है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बातचीत करना और उनका अनुसमर्थन करना शामिल है।
- सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 41 और 42):** संघ सरकार में "विदेशी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य" और "सीमा शुल्क सीमाओं के पार आयात और निर्यात" पर पूर्ण अधिकार क्षेत्र निहित करती है।
- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975:** अधिमान्य व्यापार समझौतों के परिणामस्वरूप आयात और निर्यात शुल्क के वैधानिक लेवी, छूट और प्रशासनिक पुनर्गठन को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष

भारत-न्यूजीलैंड FTA एक संतुलित आर्थिक साझेदारी स्थापित करता है जो घरेलू कृषि आजीविका की रक्षा करते हुए भारतीय विनिर्माण और कुशल सेवा पेशेवरों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करता है। दीर्घकालिक विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुरक्षित करना स्थायी आर्थिक आत्मनिर्भरता के भारत के व्यापक दृष्टिकोण को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत के हितों पर विदेशी व्यापार नीतियों का प्रभाव, और अनुच्छेद 253 के तहत संधि-निर्माण शक्तियां।
- जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), कृषि व्यापार संरक्षण, और औद्योगिक क्षेत्र का विकास।

- **प्रारंभिक परीक्षा ध्यान केंद्रित:** लागू होने की तिथि (20 अक्टूबर 2026), प्रमुख भारतीय अपवर्जन (डेयरी, दालें, चीनी), TRQ तंत्र, और अनुच्छेद 253 तथा संघ सूची प्रविष्टियों 41 और 42 के तहत संवैधानिक प्रावधान।

3. पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के कार्यान्वयन से जुड़े विवाद

मुख्य बिंदु और सारांश

- कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने विधानसभा में कहा कि कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट को लागू करने से राज्य के 10 जिलों में लोगों की आजीविका को खतरा है।
- उच्च-स्तरीय कार्य समूह की रिपोर्ट में कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र के 20,668 वर्ग किमी क्षेत्र को, जिसमें 1,449 गांव शामिल हैं, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है।
- प्रस्तावित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) सीमाओं के भीतर कृषि और वृक्षारोपण भूमि को शामिल करने से कृषि समुदायों के बीच सार्वजनिक चिंता और व्यापक विरोध उत्पन्न हुआ है।
- राज्य के नेताओं ने रेखांकित किया है कि पश्चिमी घाट से 6 से अधिक प्रमुख नदियां निकलती हैं, उन्होंने जोर देकर कहा कि गैर-वैज्ञानिक सीमाएं स्थानीय कृषि आबादी के बीच भय पैदा करती हैं।
- राज्य के हितधारकों द्वारा उठाए गए सुझावों में केरल मॉडल के आधार पर जमीनी स्तर पर भौतिक सर्वेक्षण करना, कानूनी संशोधनों की मांग करना, या अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जे का अनुरोध करना शामिल है।
- केंद्र सरकार ने कर्नाटक को सातवें प्रारूप ESA अधिसूचना पर अपना अंतिम विधायी रुख और निर्णय बताने के लिए 27 सितंबर की समय-सीमा तय की।

आवश्यक परिभाषाएं

- **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA):** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित एक जैविक रूप से विविधतापूर्ण क्षेत्र, जहां पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए विशिष्ट वाणिज्यिक, औद्योगिक और विकासात्मक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है।
- **प्राकृतिक परिदृश्य बनाम सांस्कृतिक परिदृश्य:** पश्चिमी घाटों को निरंतर प्राचीन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों (ESA के लिए प्रस्तावित 37%) और बस्तियों तथा कृषि वाले मानव-संशोधित क्षेत्रों (63% सांस्कृतिक परिदृश्य) में विभाजित करने वाला एक वर्गीकरण ढांचा।

- **कस्तूरीरंगन समिति (HLWG):** पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए एक संतुलित, व्यावहारिक मॉडल का सुझाव देने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक उच्च-स्तरीय कार्य समूह।
- **मलनाड क्षेत्र:** कर्नाटक में पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों पर स्थित पहाड़ी पट्टी, जो भारी वर्षा, घने जंगल और व्यापक वृक्षारोपण खेती से समृद्ध है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (धारा 3):** केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उपाय करने का अधिकार देता है, जिसमें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को घोषित करना और औद्योगिक संचालन को प्रतिबंधित करना शामिल है।
- **अनुच्छेद 48A:** राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है।
- **अनुच्छेद 51A(g):** मौलिक कर्तव्य जिसके तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना आवश्यक है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 14 और 18):** कृषि और भूमि पट्टे/अधिकारों को राज्य सरकारों के विशेष विधायी अधिकार क्षेत्र में रखती है, जिससे संघ के पर्यावरण जनादेशों के साथ संघीय दोहराव पैदा होता है।

Gadgil Report vs Kasturirangan Report on Western Ghats

Two Reports | One Mountain Range | Different Approaches

What is it?

- Both are expert committee reports on the conservation and management of the Western Ghats, a biodiversity hotspot in India.
- They propose different approaches to balance ecological protection with development needs.

Background

- Western Ghats declared a UNESCO World Heritage Site (2012).
- Increased threats: deforestation, mining, infrastructure, biodiversity loss.
- Govt. set up expert committees to suggest a framework for protection and sustainable management.

Gadgil Report (2011)

- Submitted by: Western Ghats Ecology Expert Panel (Kasturi Ranganathan – Chair).
- Recommended a **strict protection approach**.
- Proposed **ecologically sensitive zones (ESZ): 3 tiers** (core, buffer, transition).
- Recommended a **ban on mining, large dams, and polluting industries** in ESZs.

Kasturirangan Report (2013)

- Submitted by: High Level Working Group (HLWG) (M.S. Kasturirangan – Chair).
- Recommended a **balanced approach – conservation + development**.
- Proposed ESZs with 4 categories:
 - ESZ 1A (highest protection)
 - ESZ 1B (restricted use)
 - ESZ 2 (regulated use)
 - ESZ 3 (development)
- Allowed more **flexibility for development activities**.

Key Differences

	Gadgil Report	Kasturirangan Report
Approach	Strict protection	Balanced (Conservation + Development)
ESZs	3 tiers (Core, Buffer, Transition)	4 categories (1A, 1B, 2, 3)
Development activities	Ban on mining, large dams, polluting industries	Allowed with regulations
Focus	Ecological integrity	Socio-economic development

Objectives

- Conserve unique biodiversity and ecosystems.
- Ensure **sustainable use** of natural resources.
- Protect water sources and **climate regulation**.
- Balance conservation with livelihoods and development.

Important Provisions / Features

- Identification and mapping of ESZs.
- Regulation of land use and infrastructure.
- Control on mining, quarrying, large dams and polluting industries.
- Promotion of **sustainable livelihoods and eco-tourism**.

Significance

- Preserves rich biodiversity (34% of India's plant species, endemic species).
- Secures **water** for millions (dependence of South India).
- Helps in **climate change mitigation** (carbon sink).
- Supports **sustainable development** and local livelihoods.

Ministry / Organization

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)
Government of India

Important Facts & Figures

- Length: ~1,600 km (Gujarat-Tamil Nadu region in Gujarat to Karnataka).
- States: Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu.
- % of India's biodiversity: ~34% of plant species, ~50% of endemic species.
- UNESCO status: 2012.

International / Constitutional Link

- Global link: Aligns with Convention on Biological Diversity (CBD) and Sustainable Development Goals (SDGs).
- Constitutional link: Article 48A – protection of environment, Article 51A(g) – fundamental duty to protect nature.

Prelims Quick Revision

- Two reports: Gadgil (2011) & Kasturirangan (2013).
- Gadgil: 3 ESZs, strict protection.
- Kasturirangan: 4 ESZs, balanced approach.
- Western Ghats length: ~1,600 km.
- UNESCO World Heritage Site: 2012.
- Rich in biodiversity (34% plant species).
- Helps in water security for South India.
- Ministry: MoEFCC.
- Constitutional link: Art. 48A & 51A(g).
- Key threat: deforestation, mining, infrastructure.

निष्कर्ष

स्थानीय सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के साथ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचनाओं का सामंजस्य बिठाने के लिए सैटेलाइट-आधारित मैपिंग से सहभागी, जमीनी स्तर के भौतिक सर्वेक्षणों की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता है। वैधानिक कानूनों के तहत पर्यावरण संरक्षण को ग्रामीण आजीविका सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करना पश्चिमी घाट में टिकाऊ पारिस्थितिक शासन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), जैव विविधता हानि, और सतत विकास।
- **जीएस पेपर II:** केंद्र-राज्य संबंध, सहकारी संघवाद, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, और वैधानिक निकाय।
- **प्रारंभिक परीक्षा ध्यान केंद्रित:** गाडगिल बनाम कस्तूरीरंगन समितियों की सिफारिशें, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधान, पश्चिमी घाट का भौगोलिक विस्तार, और DPSP अनुच्छेद 48A।

4. महाराष्ट्र में गंभीर सूखा और 100% सूखा घोषित होने की संभावना

मुख्य बिंदु और सारांश

- महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने एक अभूतपूर्व और गंभीर सूखे के कारण सितंबर के अंत तक पूरे राज्य में 100% सूखा घोषित होने की संभावना का संकेत दिया।
- 20 जिलों के 83 तालुकाओं में 20 दिनों से अधिक समय तक सूखे के खिंचाव ने सोयाबीन, कपास और गन्ने सहित प्रमुख खरीफ फसलों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है।
- राज्य के विभागों ने तत्काल राहत उपाय शुरू किए हैं, जिनमें छात्रों की फीस माफी, बिजली बिल में छूट और प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के टैंकों की तैनाती शामिल है।
- भूजल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी (GSDA) और जिला प्रशासनों को गांव-स्तरीय पेयजल लेखापरीक्षा (ऑडिट) आयोजित करने और mid-2027 तक चरणबद्ध आकस्मिक योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया गया।
- केंद्र सरकार के सूखा प्रबंधन नियमावली मानकों का सख्ती से पालन करते हुए, औपचारिक ज़मीनी सत्यापन और फसल क्षति का आकलन 5 अक्टूबर के बाद शुरू होगा।
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से केंद्रीय सहायता की प्रतीक्षा किए बिना संकटग्रस्त किसानों को तत्काल राहत उपाय प्रदान करेगी।

आवश्यक परिभाषाएं

- जलवैज्ञानिक सूखा (Hydrological Drought):** एक ऐसी स्थिति जो तब होती है जब सतह और उप-सतह जल आपूर्ति (जलाशय, झीलें और भूजल) लंबे समय तक वर्षा की कमी के कारण सामान्य स्तर से नीचे गिर जाती है।
- सूखा प्रबंधन नियमावली (2016):** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वैधानिक दिशानिर्देश जो औपचारिक सूखा घोषणाओं के लिए वैज्ञानिक मापदंडों (वर्षा विचलन, मिट्टी की नमी, उपग्रह वनस्पति सूचकांक, और जलवैज्ञानिक स्तर) को स्थापित करता है।
- राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF):** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत गठित एक केंद्रीय कोष, जो गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करता है।
- भूजल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी (GSDA):** एक विशेष राज्य एजेंसी जो भूजल स्तर की निगरानी, एक्कीफर पुनर्भरण का मूल्यांकन और टिकाऊ ग्रामीण जल आपूर्ति ढांचे की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** SDRF और NDRF तंत्रों के माध्यम से आपदा घोषणा, संस्थागत प्रतिक्रिया और वित्तीय सहायता के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 21:** जीवन के मौलिक अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में बुनियादी जीविका, स्वच्छ पेयजल और आजीविका सुरक्षा के अधिकार को शामिल करता है।

- **अनुच्छेद 39(b) और (c):** राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को आम भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों को सुरक्षित करने और धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए अपनी नीति को निर्देशित करने की आवश्यकता व्यक्त करते हैं।
- **सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 14 और 17):** राज्य सरकारों में "कृषि" और "जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों" पर पूर्ण अधिकार क्षेत्र निहित करती है, जिससे प्राथमिक सूखा राहत राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है।

निष्कर्ष

गंभीर जलवायु व्यवधानों से निपटने के लिए आपातकालीन राहत कार्यों से दीर्घकालिक जलवायु-अनुकूल कृषि और भूजल प्रबंधन की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता है। त्वरित वित्तीय सहायता के साथ संयुक्त विज्ञान-आधारित सूखा आकलन ग्रामीण आजीविका की रक्षा करता है और आवर्ती पर्यावरणीय झटकों के खिलाफ राज्य की क्षमता को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सूखा, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, फसल पैटर्न, और जल संसाधन शासन।
- **जीएस पेपर II:** आपदा प्रबंधन में केंद्र-राज्य संबंध, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक निकायों की भूमिका, और संवैधानिक DPSP।
- **प्रारंभिक परीक्षा ध्यान केंद्रित:** सूखा प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत संकेतक (SPI, NDVI, MAI), NDRF बनाम SDRF फंडिंग तंत्र, GSDA की भूमिका, और कृषि तथा जल से संबंधित सातवीं अनुसूची की प्रविष्टियां।

5. कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीते गौरव की मृत्यु ने संरक्षण संबंधी चुनौतियों को उजागर किया

मुख्य बिंदु और सारांश

- प्रोजेक्ट चीता के तहत सितंबर 2022 में भारत लाए गए 10 वर्षीय नामीबियाई नर चीते गौरव (मूल नाम एल्टन) की कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चिकित्सा उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
- अत्यधिक कमजोरी और निर्जलीकरण प्रदर्शित करने के बाद 12 सितंबर को जंगल से रेस्क्यू किए गए इस चीते की मृत्यु से पहले पशुचिकित्सक टीमों को किसी अंतर्निहित पुरानी बीमारी (chronic condition) का संदेह था।
- मार्च 2023 में खुले क्षेत्र (free-ranging area) में छोड़े जाने के बाद गौरव और उसके गठबंधन साथी शौर्य ने 70 से अधिक वर्षों में भारत में चीते द्वारा पहले सफल शिकार का रिकॉर्ड दर्ज किया था।
- इस नर चीते ने दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता निरवा के साथ पांच शावकों को जन्म देकर पुनर्प्रवेश पहल के आनुवंशिक विविधीकरण (genetic diversification) में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- गौरव के निधन के बाद, भारत में चीतों की कुल संख्या 55 है, जिसमें कूनों राष्ट्रीय उद्यान में 51 और गांधी सागर अभयारण्य में 4 चीते शामिल हैं।
- क्षेत्र प्राधिकारियों ने मृत्यु के सटीक कारण का पता लगाने और स्थानांतरित वन्यजीवों में दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करने के लिए विस्तृत पोस्टमार्टम परीक्षा हेतु नमूने भेजे हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **प्रोजेक्ट चीता (Project Cheetah):** भारतीय घास के मैदानों में चीतों की पारिस्थितिक भूमिका को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े मांसाहारी जीवों को पुनः लाने के उद्देश्य से शुरू की गई विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण (intercontinental translocation) परियोजना।
- **गठबंधन (Coalition):** मुख्य रूप से नर चीतों (अक्सर भाई या असंबंधित नर) द्वारा बड़े क्षेत्रों की रक्षा करने और प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ शिकार की सफलता में सुधार करने के लिए बनाया गया एक सामाजिक समूह।
- **सॉफ्ट रिलीज (क्वारेन्टाइन बोमा):** एक नियंत्रित अनुकूलन विधि जहां स्थानांतरित जानवरों को मुक्त-विचरने वाले जंगली आवासों में पूर्ण रिलीज से पहले बड़े बाड़ वाले बाड़ों (fenced enclosures) में रखा जाता है।
- **इन-सिटू बनाम एक्स-सिटू संरक्षण (In-situ vs. Ex-situ Conservation):** इन-सिटू प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने को संदर्भित करता है, जबकि एक्स-सिटू में प्राकृतिक वातावरण के बाहर सुरक्षा शामिल है, जैसे कि चिड़ियाघर या कैप्टिव ब्रीडिंग बाड़े।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (अनुसूची I):** भारत में एशियाई और अफ्रीकी चीतों को सर्वोच्च स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जो कड़े दंड के साथ शिकार और वाणिज्यिक व्यापार को प्रतिबंधित करता है।
- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA):** MoEFCC के तहत वैधानिक निकाय जो प्रोजेक्ट चीता के हस्तक्षेपों के प्रबंधन और वित्तपोषण के लिए नोडल निष्पादन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- **साइट्स (CITES - परिशिष्ट I):** अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो चीतों (*Acinonyx jubatus*) को परिशिष्ट I के तहत वर्गीकृत करता है, जो सीमा पार आवाजाही और नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सख्ती से नियंत्रित करता है।
- **अनुच्छेद 48A:** राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र एवं राष्ट्रीय वन्यजीव विरासत की रक्षा करने का जनादेश देता है।

निष्कर्ष

संस्थापक (founder) चीतों की मृत्यु अंतरमहाद्वीपीय वन्यजीव स्थानांतरण में शामिल शारीरिक और पर्यावरणीय तनावों को रेखांकित करती है। दीर्घकालिक सफलता बनाए रखने के लिए ध्यान को सॉफ्ट मैनेजमेंट, आनुवंशिक निगरानी और पूरे परिदृश्य में निरंतर घास के मैदान गलियारों (grassland corridors) का विस्तार करने की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** जैव विविधता संरक्षण, प्रोजेक्ट चीता की गतिशीलता, मानव-वन्यजीव संघर्ष, और वन्यजीव संरक्षण कानून।
- **जीएस पेपर II:** वैधानिक निकायों (NTCA) की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय ढांचे (CITES)।

- **प्रारंभिक परीक्षा ध्यान केंद्रित:** भारत में चीतों के विलुप्त होने की समय-सीमा (1952), CITES परिशिष्ट I स्थिति, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) अनुसूचियां, और कूनो तथा गांधी सागर अभयारण्यों की पारिस्थितिक विशेषताएं।

6. तमिलनाडु की विकास महत्वाकांक्षा का गणित

मुख्य बिंदु और सारांश

- तमिलनाडु ने नीति आयोग की बैठक में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को 2035-36 तक \$1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य घोषित किया।
- ₹35.29 लाख करोड़ (2025-26) के वर्तमान GSDP को 2035-36 तक ₹172.56 लाख करोड़ तक बढ़ाने के लिए 4.9 गुना वृद्धि की आवश्यकता है, जिसमें रुपये में 2% की वार्षिक गिरावट मानी गई है।
- दस वर्षों में \$1.5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 17.2% की निरंतर नाममात्र (nominal) विकास दर और 5% मुद्रास्फीति मानते हुए 12.2% वार्षिक की वास्तविक (real) विकास दर की आवश्यकता है।
- 17.2% की नाममात्र विकास दर पर, राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2035-36 तक बढ़कर \$19,157 हो जाएगी, जो एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित वैश्विक सीमा (\$16,383) को पार कर जाएगी।
- अधिक प्रशंसनीय 14% नाममात्र (9.1% वास्तविक) विकास परिदृश्य के तहत, तमिलनाडु 2038-39 तक \$1.5 ट्रिलियन का लक्ष्य और 2034-35 तक \$1 ट्रिलियन का आंकड़ा हासिल कर लेगा।
- 10% की वास्तविक विकास दर को बनाए रखने के लिए 4 के वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (ICOR) पर GSDP के 40% की निवेश दर की आवश्यकता होती है, साथ ही राजकोषीय घाटे को 3% से नीचे रखना होता है।

Estimated per capita income and other related indicators till 2037-38

Year	Nominal growth (%) ^a	Nominal GSDP (₹ trillion)	Exchange rate (₹/U.S.\$)	Nominal GSDP (U.S.\$ trillion)	Per Capita Income (PCI) in U.S.\$	World Bank's PCI norm for developed country (U.S.\$) (estimated)
2025-26	15	35.3	94.65	0.37	4,808	14,558
2026-27	15	40.6	96.55	0.42	5,413	14,740
2027-28	15	46.7	98.48	0.47	6,095	14,923
2028-29	15	53.7	100.45	0.53	6,862	15,105
2029-30	15	61.7	102.46	0.60	7,726	15,288
2030-31	15	71	104.51	0.68	8,699	15,470
2031-32	15	81.6	106.60	0.77	9,808	15,653
2032-33	15	93.9	108.73	0.86	11,058	15,835
2033-34	15	108	110.90	0.97	12,468	16,018
2034-35	15	124.1	113.12	1.10	14,058	16,200
2035-36	15	142.8	115.38	1.24	15,850	16,383
2036-37	15	164.2	117.69	1.40	17,850	16,565
2037-38	15	188.8	120.04	1.57	20,120	16,748

^a Required Real Growth = 15%-5%-10%

आवश्यक परिभाषाएं

- **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP):** एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।
- **वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (ICOR - Incremental Capital Output Ratio):** पूंजी की दक्षता का आकलन करने वाला एक आर्थिक मीट्रिक, जो आर्थिक उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पूंजी निवेश का प्रतिनिधित्व करता है।

- **नाममात्र बनाम वास्तविक विकास दर (Nominal vs. Real Growth Rate):** नाममात्र विकास मुद्रास्फीति के लिए समायोजन किए बिना वर्तमान बाजार कीमतों पर आर्थिक उत्पादन को मापता है, जबकि वास्तविक विकास मूल्य में उतार-चढ़ाव के लिए समायोजित आर्थिक विस्तार को दर्शाता है।
- **राजकोषीय घाटा और ऋण-GSDP अनुपात:** राजकोषीय घाटा कुल सरकारी खर्च और गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच के अंतर को मापता है, जबकि ऋण-GSDP अनुपात समग्र आर्थिक आकार के सापेक्ष राज्य के ऋण स्थिरता का मूल्यांकन करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 293:** राज्य सरकारों की उधार लेने की शक्तियों को नियंत्रित करता है, यदि राज्य पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋण हैं तो केंद्र की सहमति आवश्यक होती है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम ढांचा:** दीर्घकालिक ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए GSDP के 3% के राजकोषीय घाटे की सीमा को लक्षित करके राज्य सरकारों को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का जनादेश देता है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 20):** आर्थिक और सामाजिक योजना को समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 20) के तहत रखती है, जिससे संघ और राज्यों के बीच सहयोगात्मक आर्थिक नीति निर्माण को बढ़ावा मिलता है।
- **नीति आयोग शासी परिषद (Governing Council):** सहकारी संघवाद के लिए प्रमुख राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है, जो मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण के साथ राज्य के विकास लक्ष्यों को संरेखित करने में सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष

तमिलनाडु की \$1.5 ट्रिलियन की विकास आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक राजकोषीय अनुशासन के साथ महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को संतुलित करने की आवश्यकता है। पूंजी दक्षता बढ़ाना, निजी घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना और मूल्य स्थिरता बनाए रखना एक विकसित अर्थव्यवस्था की स्थिति की ओर बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था, GSDP वृद्धि गतिशीलता, निवेश मॉडल, पूंजी दक्षता (ICOR), और राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation)।
- **जीएस पेपर II:** संघीय ढांचा, सहकारी संघवाद, नीति आयोग की भूमिका, और राजकोषीय उत्तरदायित्व ढांचे के तहत वैधानिक सीमाएं।
- **प्रारंभिक परीक्षा ध्यान केंद्रित:** ICOR की अवधारणाएं, वास्तविक बनाम नाममात्र GSDP, अनुच्छेद 293 उधार सीमाएं, विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय वर्गीकरण, और FRBM घाटा सीमाएं।

7. होर्मुज गतिरोध को सुलझाने के लिए मलक्का-सिंगापुर मॉडल

मुख्य बिंदु और सारांश

- होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी समुद्री व्यवधान मलक्का और सिंगापुर जलडमरूमध्य में क्षेत्रीय दावों के ऐतिहासिक समाधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
- 1971 में, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर ने 12-समुद्री मील (nautical-mile) के क्षेत्रीय समुद्री दावों को प्रस्तुत करके "अंतर्राष्ट्रीय खुले समुद्र" (international high seas) की स्थिति को चुनौती दी, जो मध्य में मिले और ओवरलैपिंग क्षेत्रीय जल का निर्माण किया।
- राज्य की संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ संतुलित करने के लिए, UNCLOS ने "ट्रांजिट पास" (transit passage) की कानूनी व्यवस्था को संहिताबद्ध किया, जिससे वाणिज्यिक और नौसेना जहाजों के लिए निरंतर और त्वरित आवाजाही की अनुमति मिली।
- 2007 के सहयोगात्मक तंत्र (Cooperative Mechanism) ने सुरक्षा परियोजनाओं के लिए एक 'एड्स टू नेविगेशन फंड' स्थापित किया, जिसे उपयोगकर्ता राज्यों और उद्योग द्वारा टोल या ट्रांजिट शुल्क लगाए बिना स्वेच्छा से वित्त पोषित किया जाता है।
- मलक्का के समान, होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान और ओमान के परस्पर प्रतिच्छेदित क्षेत्रीय जल शामिल हैं, लेकिन इसकी नाकाबंदी को सुलझाना प्राथमिक सुरक्षा विवादों और अमेरिकी गैर-स्वीकृति के कारण जटिल है।
- जबकि क्षेत्रीय हितधारक मलक्का मॉडल की ओर इशारा करते हैं, विदेशी युद्धपोतों के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता वाला ईरान का 1993 का घरेलू कानून वैश्विक समुद्री कानून के तहत विवाद का एक मुख्य बिंदु बना हुआ है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए प्रयुक्त जलडमरूमध्य (Strait Used for International Navigation):** एक संकीर्ण प्राकृतिक समुद्री मार्ग जो खुले समुद्र के एक हिस्से या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को दूसरे हिस्से से जोड़ता है।
- **ट्रांजिट पास (Transit Passage):** UNCLOS के तहत एक कानूनी व्यवस्था जो सभी जहाजों और विमानों को अंतर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्य के माध्यम से केवल निरंतर और त्वरित पारगमन के लिए नौवहन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करती है।
- **निर्दोष पारगमन (Innocent Passage):** तटीय राज्य के क्षेत्रीय समुद्र के माध्यम से ऐसा नौवहन जो शांति, व्यवस्था या सुरक्षा के प्रतिकूल न हो, जो तटीय राज्य द्वारा निलंबन के अधीन है।
- **सहयोगात्मक तंत्र (Cooperative Mechanism):** एक संस्थागत ढांचा जो तटीय राज्यों, उपयोगकर्ता राष्ट्रों और समुद्री उद्योगों को अनिवार्य पारगमन शुल्क लगाए बिना सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलों को सह-वित्तपोषित करने में सक्षम बनाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **UNCLOS (भाग III, अनुच्छेद 37-44):** अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले जलडमरूमध्य के माध्यम से ट्रांजिट पास की कानूनी व्यवस्था को परिभाषित करता है और मार्ग में बाधा डालने के तटीय राज्यों के अधिकारों को सीमित करता है।

- **UNCLOS (अनुच्छेद 3):** तटीय संप्रभु राज्यों को 12 समुद्री मील से अधिक न होने वाली सीमा तक अपने territorial sea की चौड़ाई स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है।



- **अनुच्छेद 51(c):** राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत जो संगठित लोगों के एक-दूसरे के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करता है।
- **अनुच्छेद 253:** भारतीय संसद को नौवहन की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधि प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

मलक्का-सिंगापुर सहयोगात्मक तंत्र दर्शाता है कि कैसे तटीय राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की स्वतंत्रता के साथ संप्रभु सुरक्षा का सामंजस्य बिठा सकते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य में इस ढांचे को दोहराने के लिए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय अभिनेताओं और वैश्विक शक्तियों के बीच राजनयिक सर्वसम्मति की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत और उसके पड़ोसी- संबंध, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और सम्मेलन (UNCLOS)।
- **जीएस पेपर III:** रणनीतिक समुद्री गलियारों में सुरक्षा चुनौतियां और प्रबंधन, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार बाधाएं।
- **प्रारंभिक परीक्षा ध्यान केंद्रित:** प्रमुख समुद्री चोक पॉइंट (मलक्का जलडमरूमध्य, सिंगापुर जलडमरूमध्य, होर्मुज जलडमरूमध्य) का भूगोल, UNCLOS प्रावधान (ट्रांजिट बनाम निर्दोष पारगमन), और DPSP अनुच्छेद 51(c)।

8. भारत के गतिशीलता क्षेत्र में वैकल्पिक ईंधनों के परिवर्तन को समझना

मुख्य बिंदु और सारांश

- भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पैठ मुख्य रूप से दोपहिया (2W) और त्रि-पहिया (3W) खंडों द्वारा संचालित होती है, जो चार पहिया यात्री कारों में अपनाने की दरों से आगे निकल रही है।

- अनुकूल कुल स्वामित्व लागत (Total Cost of Ownership - TCO) समानता, प्रति किलोमीटर कम परिचालन खर्च, और त्वरित व्यावसायिक पेबैक अवधि ने 2W और 3W के विद्युतीकरण में तेजी लाई है।
- वाणिज्यिक बेड़ा ऑपरेटर और अंतिम-मील वितरण लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता कम गति और मध्यम गति के इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों के लिए प्राथमिक मांग उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।
- उच्च अग्रिम खरीद लागत, सीमित सार्वजनिक त्वरित-चार्जिंग ढांचा, और रेंज एंग्जाइटी (range anxiety) निजी यात्री कार श्रेणी में बड़े पैमाने पर अपनाने को धीमा कर रही है।
- संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG), फ्लेक्स-ईंधन (E20 एथिल मिश्रण), और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन वाणिज्यिक भारी परिवहन के लिए व्यवहार्य समानांतर डीकार्बोनाइजेशन मार्गों के रूप में उभर रहे हैं।
- पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना जैसे लक्षित सरकारी मांग प्रोत्साहन सार्वजनिक परिवहन, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक बेड़े को सब्सिडी देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।



CHART 1: The lines show the total number of vehicles registered in each fuel category while the values within brackets show the share of each fuel type in total vehicles registered. Q1 - Jan to March, Q2 - Apr to June, Q3 - July to Sep, Q4 - Oct to Nov

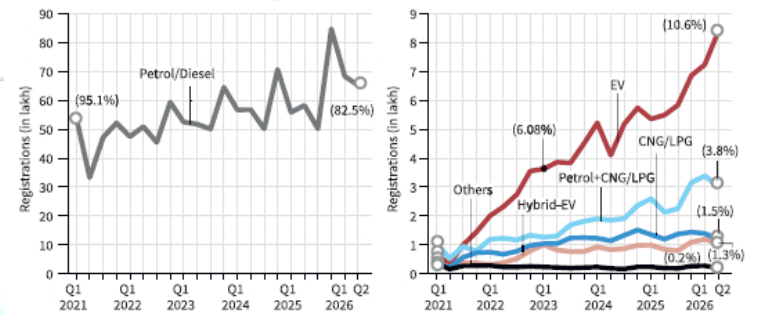
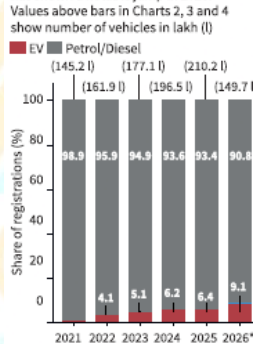
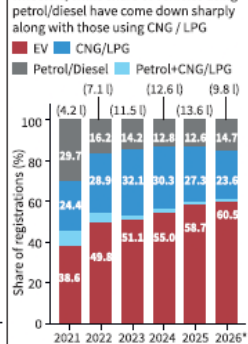


CHART 2: Share of EVs in two-wheelers has shown a notable jump in 2026. Values above bars in Charts 2, 3 and 4 show number of vehicles in lakh (l)



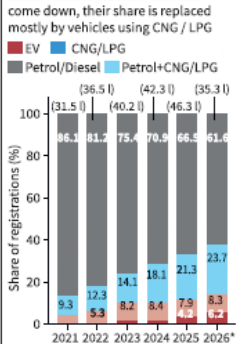
For the first time, the sale of petrol vehicles in the number of new two-wheelers registered has dropped to 90% mark in 2026

CHART 3: EVs now dominate three-wheelers, while share of vehicles using petrol/diesel have come down sharply along with those using CNG / LPG



The share of EVs among three-wheelers has jumped from less than 40% in 2021 to over 60% in 2026

CHART 4: While share of petrol and diesel vehicles in sale of cars has come down, their share is replaced mostly by vehicles using CNG / LPG



The share of petrol/diesel vehicles has come down significantly, but share of EVs is growing only marginally

आवश्यक परिभाषाएं

- **कुल स्वामित्व लागत (TCO - Total Cost of Ownership):** किसी संपत्ति के शुरुआती खरीद मूल्य को उसके जीवनकाल में उसके सभी बाद के परिचालन, ईंधन और रखरखाव लागतों के साथ जोड़कर गणना की गई एक आर्थिक मूल्यांकन।
- **रेंज एंग्जाइटी (Range Anxiety):** चालक की यह चिंता कि किसी गंतव्य या उपलब्ध चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचने से पहले इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी पावर समाप्त हो जाएगी।
- **फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (FFV):** एक आंतरिक दहन इंजन वाहन जो गैसोलीन और एथेनॉल के मिश्रण पर E85 या E100 जैसी उच्च सांद्रता तक चलने के लिए सुसज्जित है।
- **पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना:** भारत भर में प्रत्यक्ष मांग प्रोत्साहनों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से EV अपनाने में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन की गई केंद्र सरकार की प्रमुख पहल।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 48A:** राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का निर्देश देता है।

- **अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार में स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण और स्वस्थ वायु गुणवत्ता का अधिकार शामिल है, जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।
- **मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (धारा 110):** मोटर वाहनों के लिए निर्माण, उपकरण और उत्सर्जन मानक स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार में निहित करता है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची III, प्रविष्टि 35):** समवर्ती सूची के तहत "यांत्रिक रूप से संचालित वाहन जिनमें वे सिद्धांत शामिल हैं जिन पर ऐसे वाहनों पर कर लगाया जाना है" को वर्गीकृत करती है।

निष्कर्ष

भारत के स्वच्छ गतिशीलता में परिवर्तन में तेजी लाने के लिए यात्री कारों के लिए मजबूत त्वरित-चार्जिंग नेटवर्क तैनात करते हुए दो और तीन पहिया वाहनों में गति बनाए रखने की आवश्यकता है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना एक विविध, लचीला और टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, और औद्योगिक नीति।
- **जीएस पेपर II:** क्षेत्रीय विकास के लिए सार्वजनिक नीतियां और हस्तक्षेप, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत केंद्र-राज्य समन्वय।
- **प्रारंभिक परीक्षा ध्यान केंद्रित:** पीएम ई-ड्राइव के उद्देश्य, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लक्ष्य (E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग), बैटरी रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत, और DPSP अनुच्छेद 48A।

9. सर्वोच्च न्यायालय ने मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) के अकारण विकृतीकरण (Denaturing) नियमों को रद्द किया

मुख्य बिंदु और सारांश

- सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विष नियम, 1972 के नियम 18A और 18B को रद्द कर दिया, जो गैर-औषध निर्माताओं को बिक्री से पहले औद्योगिक मेथनॉल में रंजक (colourants) और तिक्तक (bitterants) मिलाने को अनिवार्य बनाते थे।
- न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने माना कि आक्षेपित नियम अनुपातहीन, मनमाने थे और अनुच्छेद 14 और 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते थे।
- अदालत ने देखा कि अनिवार्य रासायनिक योजक (additives) अवैध जहरीली शराब के उत्पादन में मेथनॉल के विचलन (diversion) को रोकने के साथ एक तर्कसंगत, प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने में विफल रहे।
- फैसले में कहा गया कि इन नियमों ने अनियमित काले बाजार के दुरुपयोग को हल किए बिना वैध पेंट, रेजिन और फार्मास्यूटिकल उद्योगों पर निरंतर उत्पादन बाधाएं ला दीं।

- के.एस. पुट्टास्वामी (2017) के चार-चरणीय आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) को लागू करते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि हालांकि जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकना एक वैध राज्य का उद्देश्य है, लेकिन ये प्रतिबंध न तो उपयुक्त थे और न ही आवश्यक।



- शीर्ष अदालत ने सख्त लाइसेंसिंग, समर्पित टैंकरों में जीपीएस-ट्रैक किए गए परिवहन, अंतर-विभागीय प्रवर्तन और पुनर्वास सहायता का निर्देश देते हुए व्यापक राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए।

आवश्यक परिभाषाएं

- विकृतीकरण (Denaturing):** औद्योगिक अल्कोहल को अखाद्य या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए उसमें रासायनिक पदार्थ, रंजक या तिक्तक मिलाने की प्रक्रिया।
- आनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test):** एक न्यायिक समीक्षा मानक जो यह मूल्यांकन करता है कि मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाले राज्य के उपाय का एक वैध लक्ष्य है, एक तर्कसंगत संबंध है, कम प्रतिबंधात्मक विकल्प मौजूद हैं, और एक संतुलित प्रभाव है।
- जहरीली शराब की त्रासदी (Hooch Tragedy):** मेथनॉल जैसे घातक औद्योगिक रसायनों से मिलावटी अवैध रूप से कशीद की गई शराब के सेवन से होने वाली सामूहिक विषाक्तता की घटनाएं।
- मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल):** एक अत्यधिक विषैला, ज्वलनशील औद्योगिक विलायक (solvent) जिसका उपयोग रासायनिक विनिर्माण, पेंट, रेजिन और प्रयोगशाला अनुप्रयोगों में अग्रदूत (precursor) के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और राज्य की मनमानी, अकारण या अनुपातहीन कार्रवाइयों के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 19(1)(g):** अनुच्छेद 19(6) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई भी वैध व्यवसाय, व्यापार या उद्योग चलाने के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है।
- विष अधिनियम, 1919:** राज्य सरकारों को निर्दिष्ट विषैले पदार्थों के कब्जे, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है।
- सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 8):** राज्य विधानमंडलों में "मादक लिकर, अर्थात् मादक लिकर का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री" पर अधिकार क्षेत्र निहित करती है।

निष्कर्ष

औद्योगिक आर्थिक जरूरतों को सार्वजनिक सुरक्षा के साथ संतुलित करने के लिए व्यापक, अवैज्ञानिक रासायनिक जनादेशों के बजाय लक्षित नियामक प्रवर्तन की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस बात को सुदृढ़ करता है कि प्रशासनिक नियमों को गैर-मनमानेपन के संवैधानिक परीक्षणों को पूरा करना चाहिए, जबकि मजबूत ट्रैकिंग प्रणालियों के माध्यम से अवैध रासायनिक विचलन को रोकना चाहिए।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अंतरसंबंध, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14 और 19), और वैधानिक ढांचे।
- **जीएस पेपर III:** औद्योगिक विकास की बाधाएं, खतरनाक रसायनों का शासन, और सार्वजनिक सुरक्षा मानक।
- **प्रारंभिक परीक्षा ध्यान केंद्रित:** आनुपातिकता ढांचे के अनुप्रयोग, विष अधिनियम 1919 के प्रावधान, सातवीं अनुसूची प्रविष्टि 8 (सूची II), और मेथनॉल के रासायनिक गुण।

10. इसरो के गगनयान मिशन में पैराशूट रिकवरी सिस्टम की कार्यप्रणाली और तैनाती

मुख्य बिंदु और सारांश

- गगनयान कू मॉड्यूल सुरक्षित पुनः प्रवेश (re-entry) और टचडाउन के लिए वायुमंडलीय ड्रैग और एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ADRDE) द्वारा विकसित एक बहु-स्तरीय पैराशूट क्लस्टर पर निर्भर करता है।
- मंदी (deceleration) प्रणाली में कुल दस पैराशूट शामिल हैं, जिनमें दो एपेक्स कवर, दो पायलट, दो ड्रोग, और तीन मुख्य पैराशूट शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण संरचनात्मक अतिरिक्त (redundancy) सुनिश्चित करते हैं।
- क्रमिक तैनाती अत्यधिक शुरुआती झटके के भार को रोकती है: छोटे पायलट शूट प्रारंभिक वेग में कमी के लिए ड्रोग पैराशूट को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद मोर्टार-तैनात मुख्य शूट खुलते हैं।
- बहु-स्तरीय प्रणाली समयबद्ध रीफिंग कटर का उपयोग करती है जो मुख्य कैनोपी पर संयम डोरियों को उत्तरोत्तर काटती हैं, जिससे गतिशील दबाव (dynamic pressure) को नियंत्रित करते हुए नियंत्रित विस्तार की अनुमति मिलती है।
- विशिष्ट तनावों के लिए उन्नत सिंथेटिक पॉलिमर तैनात किए गए हैं: भार-वहन निलंबन रेखाओं के लिए उच्च-तन्यता वाला केवलर (Kevlar), मोर्टार डिस्चार्ज के पास गर्मी-प्रतिरोधी नोमेक्स (Nomex), और कैनोपी शॉक अवशोषण के लिए लोचदार नायलॉन।
- सिस्टम की विश्वसनीयता ग्राउंड रेल ट्रेक रॉकेट स्लेड (RTRS) परीक्षण, विमान से ड्रॉप परीक्षण, और एकीकृत पायरो-कटर तंत्र के माध्यम से सत्यापित की जाती है जो लैंडिंग के बाद ड्रैग या पलटने से रोकने के लिए कैनोपी को अलग कर देते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ड्रोग पैराशूट (Drogue Parachute):** उच्च वेग पर तैनात किया जाने वाला एक उच्च-ड्रैग, छोटा-कैनोपी पैराशूट जो एक प्रविष्टि कैप्सूल को स्थिर करता है और मुख्य कैनोपी निष्कर्षण से पहले इसकी गति को कम करता है।
- **रीफिंग तंत्र (Reefing Mechanism):** शुरुआती विस्तार को प्रतिबंधित करने के लिए डोरियों का उपयोग करके पैराशूट कैनोपी के चारों ओर लागू एक अस्थायी भौतिक सीमा, जो अंतरिक्ष यात्रियों पर चरम मंदी बलों को कम करती है।



- **गतिशील दबाव (Dynamic Pressure):** द्रव प्रवाह के प्रति इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा, जो पुनः प्रवेश करने वाले अंतरिक्ष यान और उसके रिकवरी गियर पर लगाए गए वायुगतिकीय बल का प्रतिनिधित्व करती है।
- **पायरोटेक्निक कटर:** विस्फोटक रूप से संचालित यांत्रिक काटने वाले उपकरण जिनका उपयोग कैनोपी मुद्रास्फीति के दौरान रीफिंग लाइनों को काटने और टचडाउन के तुरंत बाद मुख्य पैराशूट को छोड़ने के लिए किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 51A(h):** मौलिक कर्तव्य जो प्रत्येक नागरिक और राज्य संस्था को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करने के लिए बाध्य करता है।
- **राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति, 2023:** मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकियों और स्वदेशी अनुसंधान को आगे बढ़ाने में इसरो (ISRO), इन-स्पेस (IN-SPACE) और निजी संस्थाओं के संस्थागत क्षेत्र को नियंत्रित करती है।
- **इसरो सुरक्षा परिषद के तहत सुरक्षित संचालन के नियम:** उच्च ऊर्जा वाले पायरोटेक्निक हैंडलिंग, कू सुरक्षा सीमा, और रिकवरी परीक्षण प्रोटोकॉल को नियंत्रित करने वाले वैधानिक सुरक्षा मानक।
- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) चार्टर:** रक्षा मंत्रालय के तहत कानूनी ढांचा जो ADRDE जैसी प्रयोगशालाओं को रणनीतिक एयरोस्पेस रिकवरी सिस्टम विकसित करने के लिए सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष

बहु-स्तरीय पैराशूट मंदी में महारत हासिल करना भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी बाधा का प्रतिनिधित्व करता है। स्वदेशी डिजाइन और कठोर ज़मीनी तथा हवाई परीक्षण कू की उत्तरजीविता सुनिश्चित करते हैं, जो भविष्य के कक्षीय और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक ठोस आधार तैयार करते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, इसरो के अंतरिक्ष मिशन, और मानव अंतरिक्ष उड़ान (गगनयान)।
- **जीएस पेपर II:** अनुसंधान एवं विकास निकायों (ISRO, DRDO) का संस्थागत ढांचा और राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति के तहत नीतिगत दिशानिर्देश।
- **प्रारंभिक परीक्षा ध्यान केंद्रित:** पैराशूट अनुक्रम (पायलट, ड्रोग, मुख्य), सामग्रियों के कार्य (Kevlar, Nomex, Nylon), ADRDE/DRDO की भूमिकाएं, और गतिशील दबाव तथा रीफिंग की अवधारणाएं।

11. भारत संयुक्त राष्ट्र में 'पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म' (P4M) पहल में शामिल हुआ

मुख्य बिंदु और सारांश

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने न्यू यॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्रों के साथ-साथ "पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म" (P4M) पहल के शुभारंभ में भाग लिया।

- P4M पहल की स्थापना यूरोपीय संघ, ब्राजील, केन्या और कनाडा के नेताओं द्वारा पारंपरिक महाशक्ति के प्रभुत्व से परे समावेशी बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- P4M का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र और संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय निकायों में सुधार करना है ताकि उन्हें अधिक प्रतिनिधि, वैध, प्रभावी और उभरती वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार बनाया जा सके।
- इस समूह के तहत वैश्विक शासन सुधार के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने बढ़ते वैश्विक राज्य-आधारित संघर्षों के बीच एकतरफा महाशक्ति कार्रवाइयों की अंतर्निहित सीमाओं पर प्रकाश डालते हुए इस पहल का समर्थन किया।
- भारत की भागीदारी मध्य-शक्ति गठबंधनों और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM), ब्रिक्स (BRICS), जी20 (G20), और जी4 (G4) गठबंधन जैसे सुधार-उन्मुख मंचों में इसके रणनीतिक जुड़ाव के अनुरूप है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **पार्टनर्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म (P4M):** एक अंतर-क्षेत्रीय पहल जिसे एक लचीला, खुला ढांचा तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा देता है।
- **बहुपक्षवाद (Multilateralism):** अंतर्राष्ट्रीय शासन का एक ढांचा जहां कई संप्रभु राज्य संस्थागत समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के माध्यम से राष्ट्रीय नीतियों का समन्वय करते हैं।
- **मध्य-शक्ति कूटनीति (Middle-Power Diplomacy):** सामूहिक मानकीकृत कार्रवाई के माध्यम से वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए गैर-महाशक्ति राष्ट्रों द्वारा रणनीतिक गठबंधन निर्माण।
- **जी4 (G4) गठबंधन:** भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान का एक गठबंधन जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीटों और व्यापक संरचनात्मक सुधार की वकालत करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 51(c):** राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को संगठित लोगों के एक-दूसरे के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर (अध्याय V, अनुच्छेद 108):** संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन के लिए संवैधानिक तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है, जिसके लिए महासभा में दो-तिहाई बहुमत और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 12 और 13):** संघ संसद के लिए "संयुक्त राष्ट्र संगठन" और "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संघों और अन्य निकायों में भाग लेना" पर अनन्य अधिकार सुरक्षित करती है।
- **अनुच्छेद 253:** संसद को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या मंचों पर संपन्न किसी भी संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

P4M जैसे मंचों में भाग लेना वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों में भीतर से सुधार करने की भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मध्य शक्तियों के बीच आम सहमति बनाने से वैश्विक शासन निष्पक्षता में वृद्धि होती है और महत्वपूर्ण उभरते मुद्दों पर ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिनिधित्व मजबूत होता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत के हितों पर विदेशी नीतियों का प्रभाव, और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (UN, सुरक्षा परिषद) में सुधार।
- **जीएस पेपर III:** उभरती प्रौद्योगिकियों (AI) का वैश्विक शासन, जलवायु कूटनीति, और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचा।
- **प्रारंभिक परीक्षा ध्यान केंद्रित:** P4M के संस्थापक सदस्य, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त राष्ट्र चार्टर संशोधन तंत्र, DPSP अनुच्छेद 51(c), और सातवीं अनुसूची संघ सूची प्रविष्टियां।

12. नाटो की एकजुटता पर तनाव के बीच ग्रीनलैंड त्रिपक्षीय समझौते ने गतिरोध समाप्त किया

मुख्य बिंदु और सारांश

- अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसने आर्कटिक क्षेत्र के संप्रभु नियंत्रण पर लंबे समय से चले आ रहे राजनयिक गतिरोध को सफलतापूर्वक हल किया।
- 1951 के ग्रीनलैंड रक्षा समझौते के आधार पर, नया ढांचा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का विस्तार करता है जबकि वाशिंगटन को तीसरे पक्ष की सैन्य गतिविधियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निवेश पर वीटो अधिकार प्रदान करता है।
- यह समझौता एकतरफा अमेरिकी अधिग्रहण के तात्कालिक जोखिम को हटाता है, जिसने पहले डेनमार्क और यूरोपीय नाटो सहयोगियों को द्वीप पर रक्षात्मक सैन्य कर्मियों को तैनात करने के लिए प्रेरित किया था।
- ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त घटक क्षेत्र के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखता है, जो घरेलू शासन और प्राकृतिक संसाधनों पर अपने स्थानीय विधायी अधिकार को संरक्षित करता है।
- एकतरफा दबाव के कारण उत्पन्न राजनयिक तनाव ने पश्चिमी सहयोगियों के बीच रणनीतिक पुनर्गठन में तेजी लाई है, जिसका उदाहरण कनाडा द्वारा यूरोपीय संघ के साथ सहयोगी सदस्यता ढांचे की खोज करना है।
- संकट के आसपास की जबरन बातचीत की रणनीति ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के भीतर संस्थागत विश्वास को नष्ट कर दिया है, जिससे इसके पूर्वी और उत्तरी किनारों पर सामूहिक रक्षा रुख जटिल हो गया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ग्रीनलैंड रक्षा समझौता (1951):** शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता, जो अमेरिकी सेना को ग्रीनलैंड में हवाई क्षेत्र, क्षेत्रीय जल और रक्षा सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
- **स्वायत्त क्षेत्र (Autonomous Territory):** एक भौगोलिक क्षेत्र जिसके पास आंतरिक स्व-शासन और एक निर्वाचित विधायिका होती है, जबकि वह रक्षा, सुरक्षा और प्राथमिक विदेशी मामलों को एक संप्रभु राज्य को सौंपता है।
- **सामूहिक रक्षा (अनुच्छेद 5):** नाटो का मूलभूत सिद्धांत जो यह निर्धारित करता है कि एक सदस्य राज्य के खिलाफ सशस्त्र हमला सभी सदस्य राज्यों के खिलाफ हमला माना जाता है।
- **भू-रणनीतिक चोकपॉइंट:** एक संकीर्ण या महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता जिसका नियंत्रण आसपास के महासागर या ध्रुवीय क्षेत्र पर महत्वपूर्ण सैन्य, नौवहन या आर्थिक लाभ प्रदान करता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **2009 का स्व-शासन अधिनियम (ग्रीनलैंड):** ग्रीनलैंड के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, जिससे डेनमार्क से स्थानीय संसद (Inatsisartut) को व्यापक विधायी शक्तियां हस्तांतरित हो गईं।
- **डेनमार्क का संवैधानिक अधिनियम (धारा 19):** राजा या केंद्रीय कार्यकारी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कार्य करने का अधिकार देता है, जिसके लिए प्रमुख क्षेत्रीय या संधि संशोधनों के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- **उत्तरी अटलांटिक संधि (अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6):** उत्तरी अमेरिका और यूरोप में सामूहिक आत्मरक्षा दायित्वों को नियंत्रित करती है, जो कर्क रेखा के उत्तर में सदस्य अधिकार क्षेत्र के तहत द्वीप क्षेत्रों को कवर करती है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर (अनुच्छेद 2(4)):** सदस्य राज्यों को किसी भी संप्रभु राज्य या स्वायत्त क्षेत्र की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ धमकियों या बल का प्रयोग करने से रोकता है।

निष्कर्ष

हालांकि यह त्रिपक्षीय समझौता आर्कटिक में तत्काल भू-राजनीतिक टकराव को शांत करता है, लेकिन राजनयिक तनाव ने ट्रांस-अटलांटिक गठबंधनों के भीतर संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर कर दिया है। नाटो के भीतर एकजुटता का पुनर्निर्माण और नियम-आधारित आर्कटिक शासन की स्थापना दीर्घकालिक वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक बनी हुई है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समूह, विश्व राजनीति पर विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव, नाटो गतिशीलता, और आर्कटिक शासन।
- **जीएस पेपर III:** आर्कटिक संसाधन प्रबंधन की भू-राजनीति, समुद्री सुरक्षा, और वैश्विक रणनीतिक चोकपॉइंट।

- **प्रारंभिक परीक्षा ध्यान केंद्रित:** ग्रीनलैंड का भूगोल (GIUK गैप), 1951 का ग्रीनलैंड रक्षा समझौता, उत्तरी अटलांटिक संधि का अनुच्छेद 5, और आर्कटिक परिषद के सदस्य की स्थिति।

